

18/4/21

पत्रावली पेश हुई। रीजिस्टर अतिरिक्त उपर।  
अनागत। लगाने की तलमी वारे में ही  
बुकी है जो अतिरिक्त-आपासण नहीं होने से  
इन्के विशुद्ध एक पक्षीय अर्पवाही अमल में  
लाई जाती है। पत्रावली वारे बहस हल उपर  
दिनांक 25/11/22 को पेश हो।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)  
नवलगढ़

25/11/22

पत्रावली पेश हुई। राज्य सरकार/राजस्व मण्डल के द्वारा  
कोरोना महामारी दिशा निर्देश जारी होने पर पत्रावली गत  
आदेशानुसार दिनांक 23/3/22 को पेश हो।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)  
नवलगढ़

23/3/22 पत्रावली पेश हुई। रीजिस्टर अतिरिक्त उपर।  
पत्रावली वारे गत 20/5/21 को पेश किया  
19/4/22 को पेश हो।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)  
नवलगढ़

19.4.22

पत्रावली पेश हुई। रीजिस्टर अतिरिक्त उपर।  
अवकाश/अन्य कार्य में अनागत। पत्रावली  
आवना दिनांक 29.4.22 को पेश हो।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)  
नवलगढ़

29.4.22

पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त उपर। रीजिस्टर अतिरिक्त उपर।  
वारा अदम्य वारणी में खासि होने से शक्यता  
यहाने का कोई अतिरिक्त नहीं रहता है अतः अदम्य  
में खासि किया जाता है। पत्रावली के अतिरिक्त उपर।  
वारे दर्ज नम्बर से कम है तथा बाद तकनीक  
आना दाखिल दफ्तर है। निर्णय अनागत  
आपासण में सुनाया गया।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)  
नवलगढ़

